

क्रमांक:पं07(2)चिस्वा/2/10/आई.डी. 1420

जयपुर, दिनांक: 21.9.2010

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज० जयपुर।


विषय:- 33rd National conference of Association of Colon
& Rectal Surgeons of India (ACRSICON2010)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 22.9.2010 से 26.9.2010 तक बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित उक्त कान्फेन्स में भाग लेने वाले इच्छुक चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1-राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
- 2-अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 3-कान्फेन्स अवधि राज. सेवा नियमों के नियम-7(8)(बी)(I) के अन्तर्गत ड्यूटी मानी जावेगी।

भवदीय,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: डॉ० दिनेश शाह, प्रबन्ध सचिव, piles clinic, जी-24, उन्नति टावर, सेन्द्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है। (फैक्स-0141-2221695)


सहायक शासन सचिव

राजस्थान - सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार - कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/ 632

दिनांक : 23/9/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. डा० दिनेश शाह, प्रबन्ध सचिव, Piles Clinic, जी-24, उन्नति टावर, सेन्द्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग को वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
3. रक्षित पत्रावली।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।